

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1002 / 1617057 दिनांक 13-01-2017 द्वारा VYAS Central Application Software में दिनांक 20-01-2017 तक Digital Signature Register किये जाने के सम्बन्ध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1052/ वाणिज्य कर दिनांक 27-01-2017 द्वारा दिनांक 31-01-2017 तक डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम में Register करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। इसी क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-आई0टी0-NIC S/W-(Digital_Sig.)-(2016-17) / 1071/ वाणिज्य कर दिनांक 02-02-2017 द्वारा जिन अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर खो गये हैं के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये थे। कतिपय अधिकारियों द्वारा VYAS Central Application Software में Digital Signature Register किये जाने में Name Mismatch की समस्या से अवगत कराया गया था जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1089 दिनांक 07-02-2017 द्वारा डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने में आ रही कठिनाईयों का निवारण करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

मुख्यालय द्वारा डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने के सम्बन्ध में जारी उपरोक्त निर्देशों के उपरान्त भी दिनांक 10-02-2017 को प्राप्त MIS Report में 428 अधिकारियों के DSC रजिस्ट्रेशन हेतु पेन्डिंग प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

Digitally Signed Officers Report

Report Generation Time 02/10/2017 11:18 AM

S.No.	Zone	Total officers for Digitally signed	Total Officers done Digital Signature	Total Officers not Digital Signature
1	Agra	100	96	4
2	Aligarh	109	94	15
3	Allahabad	96	78	18
4	Bareilly	71	64	7
5	Etawah	61	27	34
6	Faizabad	87	58	29
7	Gautambudha Nagar	74	50	24
8	Ghaziabad I	105	69	36
9	Ghaziabad II	66	44	22
10	Gorakhpur	91	76	15
11	Jhansi	68	54	14
12	Kanpur I	83	54	29
13	Kanpur II	76	52	24
14	Lucknow I	97	74	23
15	Lucknow II	76	56	20
16	Meerut	61	48	13
17	Moradabad	114	85	29
18	Saharanpur	99	78	21
19	Varanasi I	85	66	19
20	Varanasi II	108	76	32
		1727	1299	428

आप अवगत है कि शासनादेश दिनांक 15-12-2016 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-72 में संशोधन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी नोटिस, आहवाहन पत्र या आदेश की Scan की गयी प्रति Electronically Generated व Digital Signature की प्रति ई-मेल से अथवा अनुलिपि संदेश के माध्यम से प्रेषित किये जाने की विधिक मान्यता प्रदान की गयी है तथा इसी क्रम में मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1002 दिनांक 13-01-2017 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी / पंजीयन प्राधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर का साफ्टवेयर में रजिस्ट्रेशन तथा कर निर्धारण अधिकारी / पंजीयन प्राधिकारी द्वारा login करने के पश्चात Online generated notice / Order / Registration Certificate Digitally Signed जारी करने के निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके दृष्टिगत सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा Online Application में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करना आवश्यक होगा।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे दिनांक 15-02-2017 तक प्रत्येक दशा में VYAS Central Software में अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करना सुनिश्चित करें तथा इस दिनांक तक जिन अधिकारियों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर नहीं किया जायेगा उनके विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यवाही की जायेगी।



(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर(IT/GST), वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।